झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या 1637 वर्ष 2020

झारखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जे0आर0ई0डी0ए0), राँची ... ... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा निदेशक–सह–अध्यक्ष, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद्, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

2. मेसर्स सौर उद्योग, 16 एस0आई0आर0टी0डी0ओ0 औद्योगिक एस्टेट, बीआईटी स्टीप, मेसरा, राँची .... प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः श्री गौरव अभिषेक, ए0जी0 के ए0सी0।

आदेश सं0 02 **दिनांकः 01.07.2020**

यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया है।

वर्तमान रिट याचिका दिनांक 21 जुलाई, 2017 के ज्ञापांक संख्या 2269 में निहित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो 2016 के वाद संख्या जेएचएमएसईएफसी–04 में पारित की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्त्ता आदेश प्राप्ति के तीस दिन के भीतर बकाया मूल और ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित

किया गया है और न देने पर दावेदार (प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ) कानून की प्रक्रिया के माध्यम से राशि वसूलने का हकदार है।

बहुत शुरूआत में, ए0जी0 के विद्वान ए0सी0 ने रिट याचिका की पोषणियता के संबंध में आपत्ति उठाये हैं और यह स्वीकार करते हैं कि यचिकाकर्त्ता के पास 21 जुलाई, 2017 के आदेश के खिलाफ सहारा लेने का प्रभावोत्पादक/वैकल्पिक उपाय है, जो 2016 के वाद संख्या जेएचएमएसईएफसी–04 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 19 के प्रावधानों के संदर्भ में पारित किया गया था।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और यह ध्यान रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाद संख्या जेएचएमएसईएफसी–04 वर्ष 2016 में पारित आदेश जो ज्ञापांक संख्या 2269 दिनांक 21 जुलाई, 2017 में निहित है, के विरूद्ध प्रभावी/वैधानिक उपाय है, में इस याचिका को सुनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

तद्नुसार, यह रिट याचिका पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है।

यद्यपि, याचिकाकर्त्ता दिनांक 21 जुलाई, 2017 के आदेश के विरूद्ध उचित सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है, जो विधि के अन्तर्गत अनुमान्य है।

(राजेश शंकर, न्याया0)